न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी–द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) चन्दौली
उपस्थितः श्री पारितोष श्रेष्ठ, एच.जे.एस. J.O. Code UP 1580
विशेष सत्र परीक्षपण संख्या : 653 सन् 2024

UPCD010041282024

सरकार प्रति मुन्ना सोनकर राम वगैरह

मु.अ.सं.–134/2023
धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–नौगढ़, जिला–चन्दौली।

<u>बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 द.प्र.सं.</u>

नाम–**प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** पिता का नाम–गोरखनाथ पटेल उम्र– 28 वर्ष
पेशा– मजदूरी निवासी–जलालपुर माफी, थाना–कोतवाली चुनार, जिला– मिर्जापुर।

प्रश्न–1 यह कि आप अभियुक्त ने उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7/86 के प्रवर्तन के उपरान्त अधिनियम के उपरान्त अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने व गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए भा0दं0सं0 के अध्याय 16,17 व 22 के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं। अभियुक्त के विरूद्ध गैगचार्ट में मु.अ.सं.120/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 429 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली एवं मु.अ.सं. 40/2023 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– जी हाँ,

प्रश्न–2 क्या आप अपना जुर्म स्वेच्छया बिना जोर जबरदस्ती के स्वीकार कर रहे हैं तथा जुर्म स्वीकोरोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में क्या कहना है?

उत्तर– जी हाँ,

प्रश्न–3 क्या आपको मालूम है कि जुर्म स्वीकार करने पर आपको सजा भी हो सकती है?

उत्तर– जी हाँ,

प्रश्न–4 आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?

उत्तर– जी सही चला।

प्रश्न–5 क्या आपको सफाई साक्ष्य देना है?

उत्तर– जी नहीं,

Digitally signed by PARITOSH SHRESHTHA
Date: 2026.03.11 10:31:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रश्न–6 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर– मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है, मेरी पहली गलती है, माफ की जाये।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक–26.02.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
चन्दौली।

उपरोक्त जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** को अपराध अंतर्गत धारा–3(1) गैगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक–26.02.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
चन्दौली।

लंच बाद पत्रावली पेश–

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

अभियुक्त के विरूद्ध उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7/86 के प्रवर्तन के उपरान्त अधिनियम के उपरान्त अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने व गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए भा0दं0सं0 के अध्याय 16,17 व 22 के अंतर्गत अपराध कारित करते है। अभियुक्त के विरूद्ध गैगचार्ट में मु.अ.सं. मु.अ.सं.120/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 429 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली एवं मु.अ.सं. 40/2023 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर पंजीकृत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि **अभियुक्त उक्त प्रकरण में पूर्व में काफी समय तक जेल में रह चुका है तथा घर का अकेला व्यक्ति है मुकदमे का पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त बिना जोर जबरदस्ती अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार कर रहा है।** अभियुक्त एक आदर्श नागरिक का जीवन व्यतीत करेगा, कोई अपराध कारित नहीं करेगा, उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त एक

गैंगस्टर व्यक्ति है तथा उनके विरूद्ध गौ तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभियोग की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

उभय पक्ष के उपरोक्त तर्को को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रकरण में मुकदमा वर्ष 2023 का है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** द्वारा स्वेच्छया इस प्रकरण में अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है तथा अभियुक्त का जुर्म स्वीकोरोक्ति प्रार्थना पत्र **जेलर द्वारा** अग्रसारित है। प्रस्तुत प्रकरण अत्यन्त प्राचीन वर्ष 2023 का है ।

यद्यपि इस प्रकरण में आरोप विरचित दिनांक 19.02.2025 को विरचित हुआ तथा इस प्राचीन पत्रावली में अभी तक पी0डब्लू–1 बयान अंकित किया गया है। अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** की स्वेच्छया की गयी जुर्म स्वीकृति, एवं इस प्रकरण में उसके द्वारा पूर्व में बितायी गयी कारावास की अवधि तथा अभियुक्त के पारिवारिक दायित्व को देखते हुए उसे निम्नांकित दण्डादेश से दण्डित किया जाना प्रश्नगत अधिनियम में विहित प्राविधानों के आलोक में न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** विशेष सत्र परीक्षण संख्या **653/2024,** मु0अ0सं0 **134/2023** अंतर्गत धारा **3(1) उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है :–

क.सं.	अपराध अंतर्गत धारा	कारावास की अवधि	अर्थदण्ड	अर्थदण्द अदा न करने पर सजा
1.	3(1) उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम, 1986	तीन वर्ष का कारावास	5000/रुपये	07 दिन का अतिरिक्त कारावास

दोषसिद्ध अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में **पूर्व में जेल में बितायी गयी निरूद्धता अवधि** उपरोक्त कारावास के दण्ड में समायोजित की जाये।

अभियुक्त पर आरोपित सभी सजाए एक साथ चलेंगी।

अभियुक्त **प्रदुम पटेल उर्फ गणेश** का सजायाबी वारण्ट अविलम्ब जिला कारगार, वाराणसी भेजा जावे।

दोषसिद्ध अभियुक्त को इस आदेश की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करायी जाये।

अभियुक्त एक सप्ताह के अंदर धारा 437–ए दं.प्र.सं. के प्राविधानों का अनुपालन करे।

दिनांक–26.02.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
चन्दौली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व उद्घोषित किया गया।

दिनांक–26.02.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
चन्दौली।